पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018-19)- // 1819093 / 1562 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(निरीक्षण-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 31, जनवरी, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या-विधि अनुभाग / 2018-19 / 445 / वा0क0 दिनांक 27-11-2018 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के वादों के गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारित करने हेतु एक लोकेशन के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों में समान रूप से विभाजित किया गया था तथा परिपत्र संख्या-1819092 दिनांक 23-01-2019 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अपने जोन के अंतर्गत आर-5 ए जनरेट न होने वाले कर निर्धारण वादों का आर-5 ए जनरेट कराते हुए एक ही लोकेशन पर कार्यरत समस्त समान स्तर के अधिकारियों में इस प्रकार हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें कि समान स्तर के अधिकारियों के पास उक्त वाद समान संख्या में हस्तांतरित हो जाये। कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के वादों के हस्तांतरण का कार्य मुख्यालय स्तर से सम्पन्न हो चुका है, अब किसी कर निर्धारण वाद का हस्तांतरण मुख्यालय स्तर से नही किया जायेगा। आप अवगत हैं कि वर्ष 2015-16 के वादों की कालबाधन तिथि 31-03-2019 है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों से वर्ष 2015-16 के मामले में आर-5 ए जनरेट कराते हुए समस्त कर निर्धारण वादों हेतु नोटिस आदि जारी कराते हुए दिनांक **31-03-2019** से पूर्व निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।